

पंचायती राज मंत्रालय  
मांग संख्या 71  
पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)

|   | वास्तविक 2018-2019 |            |               | बजट 2019-2020 |            |               | संशोधित 2019-2020 |            |               | बजट 2020-2021 |            |               |
|---|--------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|   | राजस्व             | पूंजी      | जोड़          | राजस्व        | पूंजी      | जोड़          | राजस्व            | पूंजी      | जोड़          | राजस्व        | पूंजी      | जोड़          |
| कुल   | 686.19             | ...        | 686.19        | 871.37        | ...        | 871.37        | 500.00            | ...        | 500.00        | 900.94        | ...        | 900.94        |
| वसूलियां  | -0.01              | ...        | -0.01         | ...           | ...        | ...           | ...               | ...        | ...           | ...           | ...        | ...           |
| प्राप्तियां   | ...                | ...        | ...           | ...           | ...        | ...           | ...               | ...        | ...           | ...           | ...        | ...           |
| <b>निवल</b>   | <b>686.18</b>      | <b>...</b> | <b>686.18</b> | <b>871.37</b> | <b>...</b> | <b>871.37</b> | <b>500.00</b>     | <b>...</b> | <b>500.00</b> | <b>900.94</b> | <b>...</b> | <b>900.94</b> |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:     |                    |            |               |               |            |               |                   |            |               |               |            |               |
| <b>केंद्र का व्यय</b>                                   |                    |            |               |               |            |               |                   |            |               |               |            |               |
| <b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>                          |                    |            |               |               |            |               |                   |            |               |               |            |               |
| 1. सचिवालय  | 22.52              | ...        | 22.52         | 31.33         | ...        | 31.33         | 28.48             | ...        | 28.48         | 33.21         | ...        | 33.21         |
|   | -0.01              | ...        | -0.01         | ...           | ...        | ...           | ...               | ...        | ...           | ...           | ...        | ...           |
| <i>निवल</i>   | <i>22.51</i>       | <i>...</i> | <i>22.51</i>  | <i>31.33</i>  | <i>...</i> | <i>31.33</i>  | <i>28.48</i>      | <i>...</i> | <i>28.48</i>  | <i>33.21</i>  | <i>...</i> | <i>33.21</i>  |
| <b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>          |                    |            |               |               |            |               |                   |            |               |               |            |               |
| <b>कार्य अनुसंधान और प्रचार</b>                         |                    |            |               |               |            |               |                   |            |               |               |            |               |
| 2. कार्य अनुसंधान                                       | 2.00               | ...        | 2.00          | 3.00          | ...        | 3.00          | 0.91              | ...        | 0.91          | 2.00          | ...        | 2.00          |
| 3. अंतर्राष्ट्रीय अंशदान                                | 0.15               | ...        | 0.15          | 0.20          | ...        | 0.20          | 0.15              | ...        | 0.15          | 0.20          | ...        | 0.20          |
| 4. मीडिया एवं प्रचार                                    | 12.17              | ...        | 12.17         | 15.00         | ...        | 15.00         | 5.00              | ...        | 5.00          | 8.00          | ...        | 8.00          |
| <b>जोड़-कार्य अनुसंधान और प्रचार</b>                    | <b>14.32</b>       | <b>...</b> | <b>14.32</b>  | <b>18.20</b>  | <b>...</b> | <b>18.20</b>  | <b>6.06</b>       | <b>...</b> | <b>6.06</b>   | <b>10.20</b>  | <b>...</b> | <b>10.20</b>  |
| <b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>     | <b>14.32</b>       | <b>...</b> | <b>14.32</b>  | <b>18.20</b>  | <b>...</b> | <b>18.20</b>  | <b>6.06</b>       | <b>...</b> | <b>6.06</b>   | <b>10.20</b>  | <b>...</b> | <b>10.20</b>  |
| <b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>           |                    |            |               |               |            |               |                   |            |               |               |            |               |
| <b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>                       |                    |            |               |               |            |               |                   |            |               |               |            |               |
| <b>राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)</b>      |                    |            |               |               |            |               |                   |            |               |               |            |               |
| 5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान                        | 598.27             | ...        | 598.27        | 762.34        | ...        | 762.34        | 432.96            | ...        | 432.96        | 790.53        | ...        | 790.53        |
| 6. पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण                           | 41.01              | ...        | 41.01         | 44.00         | ...        | 44.00         | 25.00             | ...        | 25.00         | 47.00         | ...        | 47.00         |
| 7. ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना                      | 10.07              | ...        | 10.07         | 15.50         | ...        | 15.50         | 7.50              | ...        | 7.50          | 20.00         | ...        | 20.00         |
| <b>जोड़-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)</b> | <b>649.35</b>      | <b>...</b> | <b>649.35</b> | <b>821.84</b> | <b>...</b> | <b>821.84</b> | <b>465.46</b>     | <b>...</b> | <b>465.46</b> | <b>857.53</b> | <b>...</b> | <b>857.53</b> |

(₹ करोड़)

|  | वास्तविक 2018-2019 |       |               | बजट 2019-2020 |       |               | संशोधित 2019-2020 |       |               | बजट 2020-2021 |       |               |
|--|--------------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
|  | राजस्व             | पूंजी | जोड़          | राजस्व        | पूंजी | जोड़          | राजस्व            | पूंजी | जोड़          | राजस्व        | पूंजी | जोड़          |
| <b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>           | <b>649.35</b>      | ...   | <b>649.35</b> | <b>821.84</b> | ...   | <b>821.84</b> | <b>465.46</b>     | ...   | <b>465.46</b> | <b>857.53</b> | ...   | <b>857.53</b> |
| <b>कुल जोड़</b>                                  | <b>686.18</b>      | ...   | <b>686.18</b> | <b>871.37</b> | ...   | <b>871.37</b> | <b>500.00</b>     | ...   | <b>500.00</b> | <b>900.94</b> | ...   | <b>900.94</b> |
| <b>ख. विकास शीर्ष</b>                            |                    |       |               |               |       |               |                   |       |               |               |       |               |
| <b>आर्थिक सेवाएं</b>                             |                    |       |               |               |       |               |                   |       |               |               |       |               |
| 1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम                  | 79.03              | ...   | 79.03         | 99.70         | ...   | 99.70         | 38.78             | ...   | 38.78         | 99.20         | ...   | 99.20         |
| 2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं                        | 22.51              | ...   | 22.51         | 31.33         | ...   | 31.33         | 28.48             | ...   | 28.48         | 33.21         | ...   | 33.21         |
| <b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>                        | <b>101.54</b>      | ...   | <b>101.54</b> | <b>131.03</b> | ...   | <b>131.03</b> | <b>67.26</b>      | ...   | <b>67.26</b>  | <b>132.41</b> | ...   | <b>132.41</b> |
| <b>अन्य</b>                                      |                    |       |               |               |       |               |                   |       |               |               |       |               |
| 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र                            | ...                | ...   | ...           | 84.90         | ...   | 84.90         | 48.00             | ...   | 48.00         | 86.77         | ...   | 86.77         |
| 4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान                | 584.64             | ...   | 584.64        | 655.40        | ...   | 655.40        | 384.70            | ...   | 384.70        | 656.76        | ...   | 656.76        |
| 5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | ...                | ...   | ...           | 0.04          | ...   | 0.04          | 0.04              | ...   | 0.04          | 25.00         | ...   | 25.00         |
| <b>जोड़-अन्य</b>                                 | <b>584.64</b>      | ...   | <b>584.64</b> | <b>740.34</b> | ...   | <b>740.34</b> | <b>432.74</b>     | ...   | <b>432.74</b> | <b>768.53</b> | ...   | <b>768.53</b> |
| <b>कुल जोड़</b>                                  | <b>686.18</b>      | ...   | <b>686.18</b> | <b>871.37</b> | ...   | <b>871.37</b> | <b>500.00</b>     | ...   | <b>500.00</b> | <b>900.94</b> | ...   | <b>900.94</b> |

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **कार्य अनुसंधान:** पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं, मुख्य रूप से इसे बेहतर नीति निर्माण के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने, के बारे में कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्रों एवं मूल्यांकन में विशेषीकृत अनुभव वाले शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. **अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** प्रावधान स्थानीय गवर्नेंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के लिए है।

4. **मीडिया एवं प्रचार:** मीडिया और प्रचार योजना का उद्देश्य पंचायती राज और इसके कार्यक्रमों के बारे में पक्ष समर्थन और प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, समकालीन और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से बेहतर और अधिक प्रभावी संवाद करना है, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर पंचायतों का क्षमता निर्माण करना उनके प्रदर्शन को बढ़ाना है। मंत्रालय ग्रामीण लोगों और अन्य हितधारकों के बीच प्रासंगिक सूचनाओं के प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया और जनसंवाद के पारंपरिक रूपों के माध्यम से प्रयास कर रहा है। मीडिया गतिविधियों का उद्देश्य पीआरआई की भूमिका से संबंधित मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे उनके पक्ष में उनकी प्रभावशीलता और पक्ष समर्थन बढ़े।

5. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान:** वर्ष 2016-17 के माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के संदर्भ में सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21/04/2018 को मंजूरी दे दी। योजना में सतत विकास

लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए पीआरआई को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण और 117 आंकांकी जिलों में पीआरआई को मजबूत करने पर जोर दिया गया। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24.04.2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना को 01.04.2018 से 31.03.2022 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना का कुल परिव्यय 7255.50 करोड़ रूपए है जिसमें राज्य का हिस्सा 2755.50 करोड़ रूपए और केंद्रीय शेषर 4500.00 करोड़ रूपए होगा। यह योजना भाग IX क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक फैली / विस्तारित है, जिसमें लगभग 2.48 लाख ग्राम पंचायतें और गैर-स्थानीय IX क्षेत्रों में जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं, वहां की ग्रामीण स्थानीय शासन के संस्था शामिल हैं। राज्य घटक के लिए निधि साझाकरण का प्रारूप पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर 60:40 के अनुपात में है। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र और राज्य साझाकरण 90:10 के अनुपात में है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय हिस्सा 100% है।

6. **पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण:** पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) वर्ष 2011-12 से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करता आ रहा है जो पंचायतों और ग्राम सभाओं और पंचायत को मॉडल बनाने के लिए विशेष प्रयास करने वाले प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करती हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को मामूली संशोधनों के साथ फिर से तैयार किया गया है और यह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के केंद्रीय घटकों में से एक है। पुरस्कार हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं।

7. **ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना:** ई-पंचायत के तहत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों के आंतरिक स्वचालन और देश की सभी पंचायतों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण को सक्षम बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे नियोजन, बजटन, कार्यान्वयन, लेखा, निगरानी, सोशल ऑडिट और नागरिक सेवाओं के वितरण जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, आदि के मुद्दों का समाधान के लिए अनुप्रयोगों का एक सूट विकसित किया गया है।